>

Title: Need to include certain castes in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Bihar.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, बिहार विधानसभा में अभी बजट सत्र चल रहा है। आज ही के दिन बिहार भर की अति पिछड़ी जातियों के लोग, उनके महासंघ हजारों-हजार की संख्या में जानदार और शानदार ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां भी बराबर वे जन्तर-मन्तर पर भी आकर प्रदर्शन करते हैं। हम लोग जितने माननीय सदस्य हैं, उनसे वे लोग मिलकर यह आग्रह करते हैं।

बिहार राज्य की नोनिया जाति है। पुराने जमाने में इसने दांडी मार्च में महात्मा गांधी का साथ दिया था। उसी तरह से, मल्लाह जाति है, जिसे साहनी, निषाद भी बोला जाता है। वे मछली मारने का काम करते हैं। भगवान राम को उन्होंने पार उतारने का काम किया था। जो दुनिया को पार उतारते, उनको पार उतारने का काम यह केवट-मल्लाह लोगों ने किया। उनको केवट और निषाद भी बोलते हैं।

फिर बिंद, बेलदार, धानुक, तुरहा, लोहार जाति के लोग भी है। जैसे यह कहा जाता है कि सौ चोट सुनार की, एक चोट लोहार की, उस लोहार जाति के लोग भी हैं। गनौता, अमात, कहार, हजाम, नागर, इन सभी जातियों के महासंघों की मांग है कि उनका नाम अनुसूचित जनजाति में लिखा जाए। ब्रिटिश लेखकों ने भी लिखा है कि वे सभी पुराने जमाने में ट्राइबल थे, अनुसूचित जनजाति में थे। लेकिन, अभी उनको अति पिछड़ी जातियों की सूची में रखा गया है। देश के विभिन्न राज्यों में वे कहीं अनुसूचित जाति में हैं, कहीं अनुसूचित जनजाति में हैं।

श्रीमती रमा देवी : उसमें कलवार जाति को भी रखिए।

सभापति महोदय : आप संक्षिप्त में अपनी मांग कर दें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, एक ग्रुप तो वह हुआ। दूसरा ग्रुप है, जिसमें पाल जो गड़ेरिया, भेड़ चराने वाली जाति है, ततवां जाति, तांती, गोढ़ी, कुम्हार, कोल, महाली जाति हैं। ये सभी जातियां कहती हैं कि हमें अनुसूचित जाति में रखिए। इन सभी जातियों की यह मांग है। ये अच्छी संख्या में हैं। उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। समाज अध्ययन संस्थानों ने भी जांच पड़ताल की है।

सभापति महोदय : आप मांग कर दें तो अच्छा रहेगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि स्वर्गीय इन्दिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, उस समय गृह मंत्रालय में ये सभी विभाग थे। बाद में, सोशल जस्टिस मंत्रालय बना। बाद में ट्राइबल मंत्रालय बना। तब वर्ष 1981 से लेकर वर्ष 1984 तक राज्य सरकार से लिखा-पढ़ी हुई थी। लेकिन, चूंकि यह कागज गृह मंत्रालय में है, इसलिए अभी के ट्राइबल और सोशल जस्टिस विभाग को समझ ही में नहीं आता।

महोदय, मैं इसलिए मांग करता हूं कि ये जो सारी जातियां हैं- नोनिया, मल्लाह, केवट, बिंद, बेलदार, धानुक, तोरहा, लोहार, गंगौत, हजाम, अमात, कहार, नागर, इन जातियों को अनुसूचित जनजाति में और ततवां, तांती, पाल, गड़ेरिया, गोढ़ी, कुम्हार जातियों को अनुसूचित जाति में रखने के लिए भारत सरकार राज्य सरकार से लिखा-पढ़ी करे। जिन राज्यों में वे अनुसूचित जाति में और अनुसूचित जनजाति में हैं, उन सभी का पता लगाकर एक सम्यक नीति तैयार करके इन सभी जातियों की मांगें पूरी कर ली जाए। महोदय, यही हमारी मांग है।

सभापति महोदय : जो सदस्य इससे अपने को संबद्ध करना चाहते हैं, वे चिट भेज दें।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय :

श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दों से अपने आपको संबद्ध करते हैं।